

3.2 Number of sanctioned posts year wise during the last five years

Raja Shripatrao Bhagwantrao Mahavidyalaya, Aundh (Satara)

2016 – 2017

महाराष्ट्र शासन
विभागीय सहसंचालक, (उच्च शिक्षण) कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर, कोल्हापूर-४१६ ००३
E-mail : jtdirhekop@rediffmail.com

दुरध्वनी क्र.: (०२३१)२५३५४००, २५३५४५४
जा.क्र.विससं/उशि/कोवि/कार्यभारमंजूरी/किम्प/

फॅक्स क्र.: (०२३१) २५३५४००
दिनांक : २२ नोव्हें. २०१२

प्रति,
प्राचार्य .
राजा श्रीपतराव भगवंतराव महाविद्यालय, औंध
ता.खटाव जि.सातारा

विषय :- विषयनिहाय शिक्षक पदांना मंजूरी देणेबाबत
(शैक्षणिक वर्ष २०१२-२०१३)

संदर्भ :- अ) शासन निर्णय

१. क.युएससी/११७८/२५२५१/रोमन-३२रोल दि.१९/६/१९७८.
२. क.एनजीसी/१२८६/१२२४ युजिफ-४ दि.२७/२/१९८९
३. क.एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७ युजिफ-२ दि.१/६/१९९१
४. क.एनजीसी/१२९०/१६७३ युएनआय-४ दि.१३/९/१९९१
५. क.एनजीसी/१२९०/१६७३ युएनआय-४ दि.१३/९/१९९१
६. क.एनजीसी/१२९०/१६७३ युएनआय-४ दि.१३/९/१९९१
७. क.एनजीसी/१२९८/४६१९ युएनआय-४ दि.११/१२/१९९९
८. क.एनजीसी/१२०१/१९८१५/३८/०१ विशी-४ दि.१८/१०/२००१
९. क.युएसजी/१२०१/१८२-०१/विशी-४ दि.३/५/२००३
- ब) संचालनालयाकडील पत्र
 १. क.एनजीसी/१०८१/११४५७/रोमन-५ अ दि.२८/९/१९८३
 २. क.एनजीसी/१९९१/१६००९/कार्यभार-९ अ (म) दि.१९/१०/१९९१
 ३. क.एनजीसी/१९९४/५८३०२/कार्यभार-९ अ दि.१९/४/१९९५
 ४. क.एनजीसी/१०९३/५९१६/मणि-३ दि.१९/६/१९९५.-

आपले पत्र क्रमांक रा-श्री भ म/ ११३२/२०१२-१३ दि.२०/११/२०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील कार्यभार फक्त अनुदान तत्वावरील मान्य विषय, तुकड्या, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा आणि विद्यार्थी संख्या कळविलेली आहे, असे गृहित धरून पडताळणी केली आहे. आपण सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार अनुदानित तुकड्यांची माहिती खालीलप्रमाणे.

| विद्याशाखा | मंजूर तुकड्यांची संख्या | | | | विद्यार्थी संख्या | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|----------|------|
| | अनुदानित | पैकी चालू तुकड्या | विनाअनु. तुकड्या | एकूण | अनुदानित | विनाअनु. | एकूण |
| बी.ए. -१ | २ | २ | ० | २ | २३३ | ० | २३३ |
| बी.ए. -२ | १ | १ | १ | २ | १२० | ४ | १२४ |
| बी.ए. -३ | १ | १ | ० | १ | ११७ | ० | ११७ |
| एकूण | ४ | ४ | ० | ३ | ४७० | ४ | ४७४ |
| बी.कॉम -१ | | | | | | | |
| बी.कॉम -२ | | | | | | | |
| बी.कॉम -३ | | | | | | | |
| एकूण | | | | | | | |
| बी.एससी. -१ | १ | १ | ० | १ | १२० | ० | १२० |
| बी.एससी. -२ | १ | १ | ० | १ | ९४ | ० | ९४ |
| बी.एससी. -३ | १ | १ | ० | १ | ४९ | ० | ४९ |
| एकूण | ३ | ३ | ० | ३ | २६३ | ० | २६३ |
| एम.ए. -१ | | | | | | | |
| एम.ए. -२ | | | | | | | |
| एम.कॉम-१ | | | | | | | |
| एम.कॉम-२ | | | | | | | |
| एम.एससी.-१ | | | | | | | |
| एम.एससी.-२ | | | | | | | |
| एकत्रित एकूण | ७ | ७ | १ | ८ | ७३३ | ४ | ७३७ |

असो.प्राध्यापक - - प्राध्यापक - पदोन्नतीन- , सरळसेवेने -

संदर्भाधीन शासन निर्णय व संचालनाकडील पत्रे आणि त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या पत्रामध्ये विहित केलेल्या कार्यभारानुसार संबंधीत विषयाच्या पुढे नमूद असणाऱ्या एकूण कार्यभारानुसार आपल्या महाविद्यालयास खालीलप्रमाणे शिक्षक पदांना मान्यता देण्यात येत आहे.

| अ. नं. | विषय | सन १९९९-२००० मूळ मंजूर पदे | एकूण कार्यभार | मंजूर पदांची संख्या | सध्या कार्यरत शिक्षकांची संख्या | कार्यभारानुसार वाढीव पद संख्या | शेरा |
|--------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | अर्थशास्त्र | २ पूर्णवेळ | ४० | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | - | - |
| २ | इंग्रजी | ३ पूर्णवेळ | ५६ | ३ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | - | - |
| ३ | मराठी | २ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | - | - |
| ४ | हिंदी | २ पूर्णवेळ | ३२ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | - | - |
| ५ | इतिहास | २ पूर्णवेळ | ३६ | २ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | -- | - |
| ६ | भूगोल | ३ पूर्णवेळ | ७२ | ४ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | १ रिक्त नवीन | - |
| ७ | राज्यशास्त्र | १ पूर्णवेळ | २० | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | -- | - |
| ८ | पदार्थविज्ञान | २ पूर्णवेळ | ८३ | ४ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | २ रिक्त नवीन | - |
| ९ | रसायनशास्त्र | ३ पूर्णवेळ | ९९ | ५ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | २ रिक्त नवीन | - |
| १० | वनस्पतीशास्त्र | ३ पूर्णवेळ | ९५ | ५ पूर्णवेळ | ३ पूर्णवेळ | २ रिक्त नवीन | - |
| ११ | प्राणिशास्त्र | २ पूर्णवेळ | ५५ | ३ पूर्णवेळ | २ पूर्णवेळ | १ रिक्त नवीन | - |
| १२ | गणित | १ पूर्णवेळ | १८ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | - | - |
| १३ | संख्याशास्त्र | १ पूर्णवेळ | २३ | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | -- | - |
| १४ | ग्रंथपाल | १ पूर्णवेळ | | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | -- | -- |
| १५ | शा. शिक्षण संचालक | १ पूर्णवेळ | | १ पूर्णवेळ | १ पूर्णवेळ | --- | -- |

• नविन पदे या कार्यालयाच्या मंजूरीशिवाय भरण्यात येवू नयेत.

| | मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| प्राचार्य | ०१ | ०० | ०१ |
| पुर्णवेळ शिक्षक | ३५ | २७ | ०८ |
| अर्धवेळ | ०० | ०० | ०० |
| तासिका | ०० | ०० | ०० |
| ग्रंथपाल | ०१ | ०१ | ०० |
| शा.शि.संचालक | ०१ | ०१ | ०० |
| एकूण | ३८ | २९ | ०९ |

कार्यभारानुसार मंजूर पदांच्या मर्यादित आपल्या महाविद्यालयास वरीलप्रमाणे खादा पदे / पूर्वीची पदे खालील अटीच्या अधिन राहून या कार्यालयाची अनुमती कळविण्यात येत आहे.


१. आपल्या महाविद्यालयातील आपण संदर्भाधीन न प्रस्तावामध्ये नमूद केलेला वर्ग/तुकड्या/विषय निहाय विद्यार्थी संख्या ही प्रत्यक्षात पदावर असणे आवश्यक आहे.
२. व्याख्याने/प्रात्यक्षिके/टयुटोरियल (पाठ निर्देशन) प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) याकरिता नमूद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे जरूरीचे आहे.

all

३. प्रात्यक्षिकाकरीता विज्ञान शाखातील प्रथम वर्ष ते तृतीय वर्ष विज्ञान वर्गाकरीता असणारा गट (बॅच) किमान २०,१६,१२, व २०,१६ याप्रमाणे संख्या असावी.
४. विषय निहाय दाखविलेल्या तासिका प्रत्यक्षात वेळापत्रकामध्ये असणे आवश्यक आहे. १२ तासिका किंवा त्यापुढील तासिका असणाऱ्या व १८/२० तासिकापर्यंत कार्यभार अपूरा असणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांना कमी पडणारा कार्यभार कनिष्ठ विभागाकडील किंवा विभाग नसल्यास त्याच विषयाचा जादा कार्यभार घेणे आवश्यक आहे.
५. सदर पदावरील नियुक्त्या प्रचलित असलेल्या शासनाच्या सर्व संबंधीत नियमानुसार करण्यात याव्यात.
६. विषयाची/विद्याशाखेची/तुकडीची किमान विद्यार्थी संख्या शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार असावी.
७. सर्व संबंधी विषय / तुकड्या १००% अनुदान पात्र ठरविलेल्या बाबतची शासन पत्रे / आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध अपरिहार्य आहे.
८. सर्व संबंधीत विषय/तुकड्या १००% अनुदानपात्र ठरविल्याबाबतची शासनपत्रे/आदेश महाविद्यालयाकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
९. पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होण्यामुळे तसेच अन्य कारणामुळे अनुदानपात्र कार्यभार कमी झाल्यास त्यानुसार शिक्षक पदांची संख्या कमी करण्यात येईल.
१०. नवीन पदावरील नियुक्त करण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांची यादी शिक्षण संचलनालयाचे स्तरवरून प्राप्त करून घ्यावी.

शासन निर्णय दि.१३/२/२००० व दि.१६/६/२००० नुसार पात्र नसलेल्या (NET/SET) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची भरती करणेस बंदी आहे. अशा नेमणूका तासिका तत्वावर गणल्या जातील. शासन पत्र दि.०२/०७/२००० नुसार २/३ रिक्त पदे भरण्याबाबत या कार्यालयाची पूर्व परवानगी आवश्यकता आहे. तासिका तत्वावरील एका शिक्षकास ७ तासिकेपेक्षा जास्त तासिका देवू नयेत. दिल्यास तो अनुदानास अमान्य करण्यात येईल.

सदर पदांवरील नियुक्त्यांमुळे झालेला वेतन व भत्यावरील खर्च संबंधीत आर्थिक वर्षाचे अनुदान निर्धारण समयी उपरोक्त अटीची पूर्तता होत असल्यास या कार्यालयाकडून अनुदानाकरीता मान्य ठरविण्यात येईल. अन्यथा तो अनुदानाकरीता अमान्य झाल्यास त्यास सर्वस्वी महाविद्यालय जबाबदार राहील.


विभागीय सहसंचालक (उशि)
कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

महाराष्ट्र शासन
विभागीय सहसंचालक, (उच्च शिक्षण) कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

राजाराम महाविद्यालय परिसर, विद्यानगर, कोल्हापूर-४९६ ००३
E-mail : jtdirhekop@rediffmail.com

दुरध्वनी क्र.: (०२३९)२५३५४००, २५३५४५४

फॅक्स क्र. : (०२३९) २५३५४००

जा.क्र. विससं/उशि/कोवि/कार्यभारमंजूरी/कॅम्प/

दिनांक : २२ नोव्हें, २०१२

प्रति,

प्राचार्य .

राजा श्रीपतराव भगवंतराव महाविद्यालय, औध

ता. खटाव जि. सातारा

विषय :- आकृतीबंध २०१२-१३

संदर्भ :- आपले पत्र क्रमांक ११३२/२०१२-१३ दि. २०/११/२०१२

शासन आदेश क्रमांक एन.जी.सी./१२८०/१५०१६३/रोमन-३१ (सेल) दिनांक २२/०२/१९८० मध्ये सुधित केल्याप्रमाणे तसेच दि.२६/८/१९९९ अन्वये महाविद्यालयाची अनुदान तत्वावरील विद्याशाखा व तुकडीची विद्यार्थी संख्या ओ. असे ग्राह्य धरून खालीलप्रमाणे शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग मंजूर करण्यात येत आहे.

| विद्यार्थी संख्या | सर्व विद्याशाखा | फक्त विज्ञान विद्याशाखा |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| वरिष्ठ महाविद्यालय | ७३३ | २६३ |
| कनिष्ठ महाविद्यालय | | - |
| एकूण | ७३३ | २६३ |

| अ) | कार्यालय | मंजूर पदे | | भरलेली पदे | | रिक्त पदे | |
|----|-------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | | २२/०२/१९८० च्या आकृतीबंधानुसार १९-२००० मंजूर पदे | २६/०८/१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | २२/०२/१९८० च्या आकृतीबंधानुसार १९-२००० भरलेली पदे | २६/०८/१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार भरलेली पदे | २२/०२/१९८० च्या आकृतीबंधानुसार १९-२००० रिक्त पदे | २६/०८/१९९९ च्या आकृतीबंधानुसार रिक्त पदे |
| | प्रबंधक (वरिष्ठ श्रेणी) | - | - | - | - | - | - |
| | लेखपाल | - | - | - | - | - | - |
| | अधिक्षक | - | १ | - | - | ० | १ नवीन |
| | मुख्यलिपिक | १ | १ | १ | ० | ० | ० |
| | वरिष्ठ लिपिक | १ | १ | १ | ० | ० | ० |
| | कनिष्ठ लिपिक | १ | २ | १ | ० | ० | १ नवीन |
| | लघुलेखक (वरिष्ठ) | - | - | - | ० | ० | - |
| | शिपाई | ३ | ३ | ३ | ० | ० | - |
| ब) | ग्रंथालय | | | | | | |
| | सहा.ग्रंथपाल | - | - | - | ० | ० | - |
| | ग्रंथपाल लिपिक | - | - | - | ० | ० | - |
| | ग्रंथा. परिचर | २ | ३ | २ | ० | ० | १ नवीन |
| क) | प्रयोगशाळा | | | | | | |
| | प्रयोगशाळा सहाय्यक | १ | २ | १ | ० | ० | १ नवीन |
| | प्रयोगशाळा परिचर | ४ | ६ | ४ | ० | ० | २ नवीन |
| | एकूण | १३ | १९ | १३ | ० | ० | ६ |

● नवीन पदे या कार्यालयाच्या मंजूरी शिवाय पदोन्नतीने अगर सरळसेवेने भरण्यात येवू नयेत.

वरीलप्रमाणे मंजूर आकृतीबंधामुळे वाढीव पदे २०० बिंदू नामावलीप्रमाणे व २० बिंदूनामावलीप्रमाणे प्रमाणसंहितेचे व शासकीय नियमाचे पालन करून भरणेत यावीत.

नवीन पदावरती नियुक्ती करण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याची यादी प्राप्त करून घ्यावी किंवा संस्थे ॥ स्तरावर अतिरिक्त ठरणाऱ्या/ठरलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने सामावून घेणेत यावी. तसेच नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कार्यालयाची मान्यता घेवून वेतन अदा करणेत यावीत. त्यामुळे निर्धारणसमयी वेतन अमान्य होणार नाही. विनाअनुदानित तुकडी मधील विद्यार्थी संख्येचा सामावेश एकूण विद्यार्थी संख्येत असलेचे आढळून आल्यास किंवा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास वाढीव पदाच्या आकृतीबंध रद समजणेत येईल.

शासन निर्णय ०१/०३/२०० व २९/०६/२००० अन्वये नवीन नवीन पदे निर्मितीस तसेच सेवानिवृत्ती /स्वेच्छा निवृत्ती/राजिनामा/मृत्यू अथवा विद्यार्थी संख्या वाढ इत्यादीमुळे रिक्त असलेली पदे भरण्यास बंदी असल्यामुळे अशा प्रकारची पदे कोणत्याही परिस्थितीत भरण्यात येवू नयेत अन्यथा त्यावरील खर्च अनुदानास पात्र धरणेत येणार नाही.

शासन निर्णय क्र.असंक-१०१०/प्रक्र-१/२०१०/वित्तिय सुधारणा-१/दि.५ जून, २०१० अन्वये शासन अनुवानीत संस्थामधील गट क व गट ड या संवर्गातील पदभरतील निबंध घालण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे सदरची पदे पूर्व परवानगीशिवाय भरणेत येवू नयेत, भरल्यास त्यावरील वेतन अनुदान मान्य केले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी

(Signature)
विभागीय सहसंचालक (उशि)



Government of Maharashtra
 Divisional Joint Director, (Higher Education) Kolhapur Division, Kolhapur
 Rajaram College Campus, Vidyanagar, Kolhapur – 416 003
 Email: jtdirhekop@rediffmail.com

Phone No. (0231)2535400, 2535454 Fax (0231) 2535400

Outward No. /D.J.D./HE/Kolhapur Div./Workload Sanction/.Camp Date: 22 Nov. 2012

To,
 The Principal,
 Raja Shripatrao Bhagwantrao Mahavidyalaya, Aundh
 Tal. Khatav, Dist. Satara

Sub: About sanction of Subject wise post of Teachers

Reference:- A) Government Resolution

1. C.USC/1178/25251/Roman-32Cell Dt. 19/06/1978
2. C.NGC/1286/1224 UGF-4 Dt. 27/02/1989
3. C.NGC/2080/160284/5987 ULIF-2 Dt. 1/6/1991
4. C.NGC/1290/1673 UNI-4 Dt. 13/09/1991
5. C. NGC/1290/1673 UNI-4 Dt. 13/09/1991
6. C. NGC/1290/1673 UNI-4 Dt. 13/09/1991
7. C. NGC/1298/4619 UNI-4 Dt. 11/12/1999
8. C. NGC/1201/11815/38/01 VC-4 Dt. 18/10/2001
9. C. UGC/1201/182-01/VC-4 Dt. 03/05/2003

B) Letters of Joint Director

1. C. NGC/1081/11457/Roman -5 Dt. 28/09/1983
2. C. NGC/1991/16009/Workload-9 A(M) Dt. 19/10/1991
3. C. NGC/1194/58302/ Workload-9 A Dt. 19/10/1991
4. C. NGC/1193/5916/MN-3 Dt. 19/06/1995

Your proposal regarding workload of subjects, Division, Syllabus, Faculties and number of students of ONLY GRANTABLE POSTS with reference to your letter no. RSBM/1132/2012-13 Dt.20/11/2012. As per your proposal details of grantable divisions are given below.

| Faculty | Number of sanctioned divisions | | | | Number of students | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|--------------------|---------------|-------|
| | Grantable | Working divisions | Non grantable divisions | Total | Grantable | Non Grantable | Total |
| B.A. - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 233 | 0 | 233 |
| B.A. - 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | 4 | 124 |
| B.A. - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | 117 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 3 | 470 | 4 | 474 |
| B.Com. - 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|-----|---|-----|
| B.Com.- 2 | | | | | | | |
| B.Com. - 3 | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |
| B.Sc. - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| B.Sc. - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 94 |
| B.Sc. - 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 3 | 263 | 0 | 263 |
| M.A.-1 | | | | | | | |
| M.A.-2 | | | | | | | |
| M.Com.- 1 | | | | | | | |
| M.Com.- 2 | | | | | | | |
| M.Sc.-1 | | | | | | | |
| M.Sc.-2 | | | | | | | |
| Grand Total | 7 | 7 | 1 | 8 | 733 | 4 | 737 |



Asso. Professor- Professor- Placement- Direct Selection-

Your college has been sanctioned following posts of teachers according to subject wise workload as per Government Resolution and letters of Joint Directors and other letters received.

| Sr. No. | Subject | Original Sanctioned posts for 1999-2000 | Total workload | Total sanctioned posts | Presently working number of teachers | Extra posts as per additional workload | Remark |
|---------|-------------------|---|----------------|------------------------|--------------------------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Economics | 2 Full time | 40 | 2 Full time | 2 Full time | - | - |
| 2 | English | 3 Full time | 56 | 3 Full time | 3 Full time | - | - |
| 3 | Marathi | 2 Full time | 36 | 2 Full time | 2 Full time | - | - |
| 4 | Hindi | 2 Full time | 32 | 2 Full time | 2 Full time | - | - |
| 5 | History | 2 Full time | 36 | 2 Full time | 2 Full time | - | - |
| 6 | Geography | 3 Full time | 72 | 4 Full time | 3 Full time | 1 Vacant New | - |
| 7 | Political Science | 1 Full time | 20 | 1 Full time | 1 Full time | - | - |
| 8 | Physics | 2 Full time | 83 | 4 Full time | 2 Full time | 2 Vacant | - |



| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | | | | time | | time | | New | |
| 9 | Chemistry | 3 Full time | 99 | 5 Full time | 3 Full time | 2 Full time | 2 Full time | Vacant New | - |
| 10 | Botany | 3 Full time | 95 | 5 Full time | 3 Full time | 2 Full time | 2 Full time | Vacant New | - |
| 11 | Zoology | 2 Full time | 55 | 3 Full time | 2 Full time | 1 Full time | 1 Full time | Vacant New | - |
| 12 | Mathematics | 1 Full time | 18 | 1 Full time | 1 Full time | - | - | - | - |
| 13 | Statistics | 1 Full time | 23 | 1 Full time | 1 Full time | - | - | - | - |
| 14 | Library | 1 Full time | | 1 Full time | 1 Full time | - | - | - | - |
| 15 | Physical Director | 1 Full time | | 1 Full time | 1 Full time | - | - | - | - |

New posts should not fill up without permission of this office.

| | Sanctioned Posts | Filled Posts | Vacant Posts |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Principal | 01 | 00 | 01 |
| Total Teachers | 35 | 27 | 08 |
| Part time | 00 | 00 | 00 |
| CHB | 00 | 00 | 00 |
| Library | 01 | 01 | 00 |
| Physical Director | 01 | 01 | 00 |
| Total | 38 | 29 | 09 |

As per the workload, the number of posts sanctioned to your college is more than the above / previous posts subject to the following conditions.

1. In your college according to the class / division / subject specific number of students mentioned in the non-reference proposal must actually be in the post
2. The lectures mentioned for lectures / demonstrations / tutorials / project work must be in accordance with the rules prescribed by the government.
3. For practical's, the number of batches for the first year to third year science class in the science branch should be at least 20,16,12, and 20,16.
4. The schedule shown subject wise should actually be as per the schedule. Those with 12 Classes or more and workload which is less for the lecturers who are insufficient for 18/20 hours, It is necessary to take more responsibility for the same subject from the junior department or if there is no department
5. Appointments to this post should be made in accordance with all the relevant rules of the prevailing government.
6. The minimum number of students in the subject/ faculty/Division should be as per the rules prescribed by the Government from time to time.
7. Government Letters regarding all related subject pieces being declared eligible for 100% grant




8. Appointments to this post should be made in accordance with all the relevant rules of the prevailing government/ the order is should be available in the college
9. The number of teacher posts will be reduced in the next academic year if the number of students eligible for grants is reduced due to declining number of students and other reasons.
10. A list of additional teachers should be obtained from the Directorate of Education before being appointed to a new post.

As per Government Resolution Dated 13/2/2000 and Dated 16/06/2000 recruitment of candidates in the open category as well as those who have not passed the net set examination and are not eligible as per the ruling is prohibited. Such appointments will be made on CHB basis. According to the government letter dated 2/7/2001, prior permission of this office is required to fill 2/3 vacancies. A CHB teacher should not be given 7 lectures.

If the above conditions are met at the time of determining the grant for the financial year related to the salary and expenses incurred due to the appointment to this post, the grant will be approved by this office. Otherwise, the college will be responsible for rejection of the grant.

Divisional Joint Director (HE)
Kolhapur Division, Kolhapur


1/C (PRINCIPAL)
Raja Shripatrao Bhagwantrao
Mahavidyalaya, Aundh (Satara)



Government of Maharashtra
 Divisional Joint Director, (Higher Education) Kolhapur Division, Kolhapur
 Rajaram College Campus, Vidyanagar, Kolhapur – 416 003
 Email: jtdirhekop@rediffmail.com

Phone Nos. (0231)2535400, 2535454 Fax (0231) 2535400

Outward No. /D.J.D./HE/Kolhapur Div./Workload Sanction/.Camp Date: 22 Nov. 2012

To,
 The Principal,
 Raja Shripatrao Bhagwantrao Mahavidyalaya, Aundh
 Tal. Khatav, Dist. Satara

Sub: Pattern 2012-13

Reference:- Your letter number 1132/2012-13 Dt. 20/11/2012

Following non-teaching staff is sanctioned to your college considering grantable faculties and divisions, number of students as per mentioned in Government Resolution number N.G.C./1280/150163/Roman-31 (Cell) Date 22/02/1980 and 26/08/1999.

| Number of students | Total faculties | Only Science faculty |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| Senior College | 733 | 263 |
| Junior College | | |
| Total | 733 | 263 |

| A) | Office | Sanctioned Posts | | Filled Posts | | Vacant Posts | |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Sanctioned posts as per 22/02/1980 pattern 99-2000 | Sanctioned posts as per 26/08/1999 pattern | Filled posts as per 22/02/1980 pattern 99-2000 | Filled posts as per 26/08/1999 pattern | Vacant posts as per 22/02/1980 pattern 99-2000 | Vacant posts as per 26/08/1999 pattern |
| | Dean (Senior scale) | - | - | - | - | - | |
| | Accountant | - | - | - | - | - | |
| | Superintendent | - | 1 | - | - | 0 | 1 New |
| | Head clerk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Junior clerk | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Short hand (Senior) | - | - | - | 0 | 0 | |
| | Peon | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| B) | Library | | | | | | |
| | Assistant | - | - | - | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----|----|----|---|---|-------|
| | Librarian | | | | | | |
| | Library clerk | - | - | - | 0 | 0 | |
| | Library Attendant | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| C) | Laboratory | | | | | | |
| | Laboratory Assistant | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 New |
| | Laboratory Attendant | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 new |
| | Total | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 |

New posts should not fill up without placement or direct selection without permission of this office.

Due to the above approved diagram, the additional posts should be filled as per 200-point nomenclature and 20-point nomenclature as per the code and government rules.

Obtain a list of additional non-teaching staff before appointing her to a new position and non-teaching staff at the institution level should be given priority. And non-teaching staff at the institution level should be given priority. Therefore, the salary at the time of determination will not be invalid. If the number of students in the unsubsidized detachment is found to be the total number of students or the number of students is reduced or increased, the post will be considered cancelled.

As per Government Resolution 01/03/2000 and 29/06/2000, it is prohibited to create new posts as well as to fill the vacancies due to service / voluntary retirement / resignation / death or increase in the number of students etc. Such posts should not be filled under any circumstances. Will not considered for grants.

As per Government Resolution No. ASK-1010/PC-1/2010/ Financial reform-1/ dated 5th June, 2010, there are restrictions on recruitment in Group C and Group D posts in Government Aided Institutions. Therefore, these posts should not be filled without prior permission.

Divisional Joint Director (HE)

Kolhapur Division, Kolhapur

R. Shandani
T/C PRINCIPAL
 Raja Shripatrao Bhagwantrao
 Mahavidyalaya, Aundh (Satara)